राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

ब्लॉक–5, द्वितीय एवं तृतीय तल
डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर
Mail ID –rajssa_plan@yahoo.co.in

क्रमांकः रास्कूशिप–जय/यू–डाइस/2026–27/Rajkaj Ref. - दिनांकः यथाहस्ताक्षर

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा,
समस्त जिले

अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा, समस्त जिले

विषयः राज्य में अध्ययनरत सभी राजकीय व गैर राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों के अपार आईडी बनाये जाने एवं संशोधित अपार आईडी जनरेशन सहमति पत्र के सम्बन्ध में।

संदर्भः श्रीमान सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार का पत्रांक DO No. 1-27/2023-DIGED- Part (2) dated 10-04-2026
स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार कार्यालय ज्ञापन कमांक F. No. 1-27/2023-DIGED-Part(4) द्वारा अपार बनाये जाने हेतु जारी नवीन सहमति/असहमति प्रपत्र।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्ष 2024–25 से वन नेशन एवं वन स्टूडेन्ट आईडी के तहत राज्य में संचालित सभी राजकीय व गैर राजकीय विद्यालयों में अध्ययरत सभी विद्यार्थियों की अपार **(APAAR-Automated Permanent Academic Account Registry)** आईडी बनाये जाने का कार्य प्रगतिरत है। वर्ष 2025–26 में अपार आईडी जनरेशन की प्रगति 61.32 प्रतिशत है। संदर्भित पत्रानुसार शेष बचे विद्यार्थियों का भी अपार आईडी जनरेट करवाकर प्रगति को 100 प्रतिशत किया जाना है। अपार आईडी जनरेशन की आवश्यकता व प्रकिया पत्र के साथ संलग्न है। इसके अतिरिक्त अपार से सम्बन्धित समस्त सूचनाऐं, प्रचार–प्रसार सामग्री एवं विद्यालय, शिक्षक, अभिभावक एवं विद्यार्थियों हेतु सामान्य सलाह **(Advisory)** अपार वेबसाइट https://apaar.education.gov.in/ पर उपलब्ध है।

अपार आईडी यूडाइस डाटा व आधार डाटा समान होने एवं विद्यार्थियों के अभिभावक की लिखित सहमति के उपरान्त ही विद्यालय द्वारा यूडाइस पोर्टल पर अपने लॉगिन के माध्यम से बनाई जाती है। विद्यार्थियों की माता–पिता/वैधानिक अभिभावक द्वारा लिखित सहमति हेतु जारी पूर्व प्रपत्र को माननीय उच्च न्यायालय उडीसा के निर्णयानुसार संशोधित किया गया है। **संशोधित सहमति/असहमति प्रपत्र** को अंग्रेजी व हिन्दी भाषा में पत्र के साथ संलग्न किया गया है।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि संशोधित सहमति/असहमति प्रपत्र को सभी राजकीय व गैर राजकीय विद्यालयों को भविष्य में उपयोग हेतु भिजवाना सुनिश्चित करावें एवं सभी अपार जनरेशन से शेष रहे विद्यार्थियों के माता–पिता/वैधानिक अभिभावकों से अपार जनरेशन प्रपत्र के माध्यम से सहमति या असहमति प्राप्त का अपार जनरेशन का कार्य पूर्ण करवाना सुनिश्चित करावें। **ध्यान रहें यदि किसी विद्यार्थी के माता–पिता/वैधानिक अभिभावक द्वारा अपार आईडी जनरेट नहीं किये जाने हेतु कहा जाएं तो भी प्रपत्र पर असहमति आवश्यक रूप से लेना सुनिश्चित करावें जिससे अपार जनरेशन कार्य की प्रगति शत–प्रतिशत संभव हो सकें।**

संलग्न– संशोधित अपार जनरेशन सहमति/असहमति पत्र
अपार जनरेशन प्रक्रिया

(डॉ. रश्मि शर्मा)
राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

WhatsApp channel

Signature valid
Digitally signed by Rashmi Sharma
Designation : State Project Director
Date: 2026.04.22 16:26:18 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 21713231
eSign 1.0

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

ब्लॉक–5, द्वितीय एवं तृतीय तल

डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

Mail ID –rajssa_plan@yahoo.co.in

क्रमांकः रास्कूशिप–जय / यू–डाइस / 2026–27 / Rajkaj Ref. -   दिनांकः यथाहस्ताक्षर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक रास्कूलशिप, जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक व प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान को समस्त राजकीय व गैर राजकीय विद्यालयों को जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (प्रारंभिक व माध्यमिक) के माध्यम से निर्देशित कर कार्य पूर्ण करवाने बाबत।
4. विभागाध्यक्ष, संस्कृत शिक्षा विभाग / अल्पसंख्यक मामलता विभाग / सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग / जनजातिय विकास विभाग / मदरसा बोर्ड को सम्बन्धित विद्यालयों को निर्देशित किये जाने हेतु।
5. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक प्रथम एवं द्वितीय, रास्कूलशिप, जयपुर।
6. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को अग्रिम कार्यवाही हेतु।
7. उपनिदेशक शाला दर्पण व उपनिदेशक प्राइवेट स्कूल पोर्टल को सभी राजकीय व गैर राजकीय विद्यालयों को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित किया जाने एवं दोनों पोर्टल पर प्रदर्शित किये जाने हेतु।

7\. संस्था प्रधान समस्त राजकीय व गैर राजकीय विद्यालय।

6\. रक्षित प्रति।

राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

Signature valid

Digitally signed by Rashmi Sharma
Designation : State Project Director
Date: 2026.04.22 10:26:18 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
21713231

eSign 1.0

अपार (Automated Permanent Academic Account Registry) आईडी जनरेशन के सम्बन्ध में

प्रस्तावना–

देश के विद्यार्थियों को अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों को संचित और संरक्षित करने की सुविधा प्रदान करने, विद्यालय से लेकर कॉलेज व यूनिवर्सिटी की शिक्षा प्राप्त करने के लिए विभिन्न संस्थानों में सहजता से प्रवेश संभव बनाने एवं विद्यालय स्तर से ही क्रेडिट मान्यता और हस्तांतरण की प्रक्रियाओं को सरल बनाने के उद्देश्य से One Nation, One Student ID के अन्तर्गत विद्यालयी शिक्षा स्तर से ही अपार आईडी जनरेट करने की प्रकिया प्रारंभ की गई है इसे माध्यम से देश के समस्त विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति और पूर्व शिक्षा की मान्यता सुगम करने की कोशिश की गई है। विद्यालयी स्तर पर बनाई गई अपार आईडी कॉलेज व विश्वविद्यालय स्तर पर एबीसी (Academic Bank of Credit) आईडी के रूप में परिवर्तित हो जाती है।

भारत सरकार द्वारा One Nation, One Student ID के मद्‌दे नजर राज्य के समस्त शिक्षा बोर्डों से सम्बद्ध समस्त राजकीय व गैर राजकीय निजी विद्यालयों सहित मदरसा में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों की सम्पूर्ण शैक्षणिक उपलब्धि को एक साथ रखने, विद्यार्थियों के ड्रापआउट होने एवं विद्यालयों में अनामांकित बच्चों के पहचान के उद्देश्य से भी **APAAR ID** जनरेट किया जा रहा है। अभी तक देश में 31.56 करोड एवं राजस्थान में 94.93 लाख विद्यार्थियों की अपार आईडी जनरेट की जा चुकी है।

अपार (Automated Permanent Academic Account Registry) आईडी क्या है–

One Nation, One Student ID के अन्तर्गत स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा देश के प्रत्येक विद्यार्थी की डाटा एक स्थान पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से **Automated Permanent Academic Account Registry** का निर्माण किया गया है। इस रजिस्ट्री में प्रत्येक विद्यार्थी हेतु एक 12 अंकीय अद्वितीय आईडी प्रदान किया जाता है। राज्य में संचालित समस्त प्रकार के विद्यालय (राजकीय, गैर राजकीय एवं मदरसा) द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को जनरेट यह 12 अंको अद्वितीय कोड को अपार आईडी कहा जाता है। यह अद्वितीय निर्मित कोड एक आधार नम्बर व एक पेन **(Permanent Education Number)** के साथ जुडा होता है।

अपार (Automated Permanent Academic Account Registry) का निर्माण प्रकिया–

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित यूडाईसप्लस (www.udiseplus.gov.in) पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थी की **APAAR ID** जनरेट किये जाने जाते है। इस पोर्टल पर राज्य के समस्त स्तर के समस्त प्रकार के संचालित राजकीय, गैर राजकीय व मदरसा विद्यालयों द्वारा अपना विद्यालय, शिक्षक व विद्यार्थियों का डाटा प्रत्येक वर्ष अपलोड किया जाता है। प्रत्येक विद्यालय को आवंटित यूडाइस कोड के माध्यम से स्टूडेन्ट मैनेजमेंट लॉगिन पर उपलब्ध अपार मॉडयूल के माध्यम से अपार आईडी जनरेट की जाती है।

विद्यालय द्वारा अपने विद्यालय रिकॉर्ड के आधार पर विद्यार्थी की सूचना अपलोड व वेरिफाई करने के उपरान्त यूडाइस का एक यूनिक आईडेंटिफायर 11 अंकीय पेन **(Permanent Education Number)** अलॉट होता है। उसके उपरान्त विद्यार्थी से प्राप्त आधार आईडी की सूचना को इन्द्राज किया जाकर पोर्टल के माध्यम से वेरिफाई किया जाता है। आधार वेरिफिकेशन के उपरान्त ही अपार आईडी जनरेट किये जाने की प्रक्रिया

की जा सकती है। आधार नहीं होने या वेरिफाई नहीं होने की स्थिति में अपार आईडी जनरेट नहीं की जा सकती है।

आधार वेरिफिकेशन के उपरान्त विद्यार्थी के माता–पिता/अभिभावक को अपार आईडी की आवश्यकता व उपयोगिता से अवगत कराते हुए आधार का उपयोग करते हुए अपार आईडी जनरेट करने की लिखित स्वैच्छिक सहमति पत्र प्राप्त की जाती है। यह सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही **UDISE** पोर्टल पर विद्यालय द्वारा **APAAR ID** जेनरेट करने हेतु **Request Generate** की जाती है।

यूडाइस पोर्टल पर उपलब्ध डाटा व आधार डाटा के समान होने की स्थिति में **APAAR ID** जेनरेट हो जाती है एवं स्वतः ही उस आधार तथा पेन **(Permanent Education Number)** से जुडकर भारत सरकार द्वारा संचालित डिजीलॉकर पर सम्बद्ध हो जाती है। इसे फिर उस आधार नम्बर के माध्यम से नवीन नहीं बनाया जा सकता है।

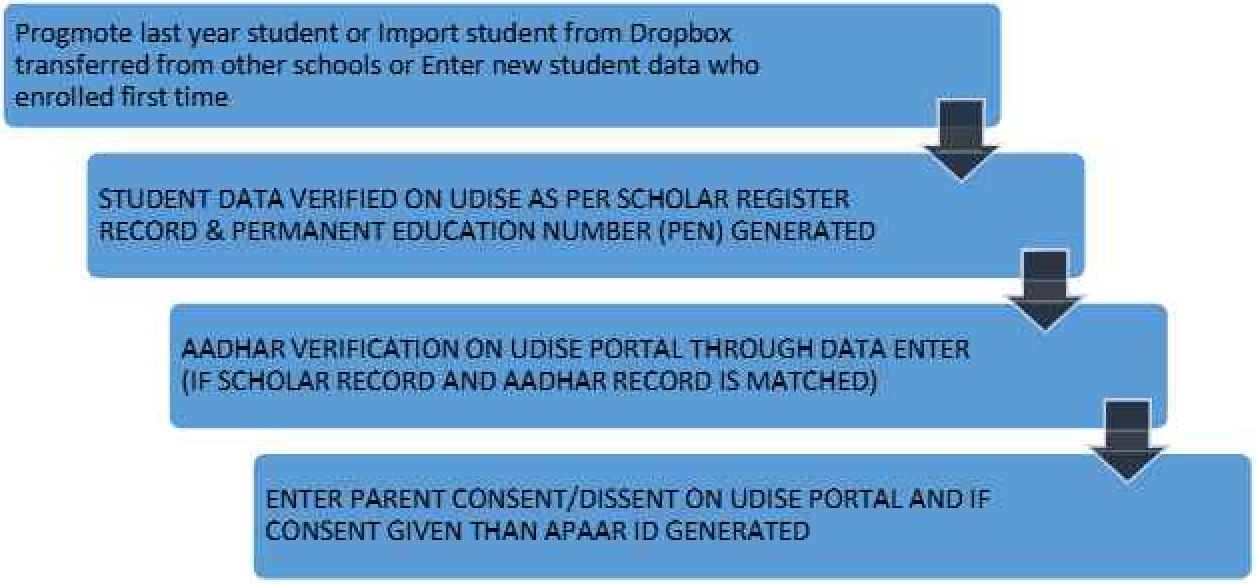

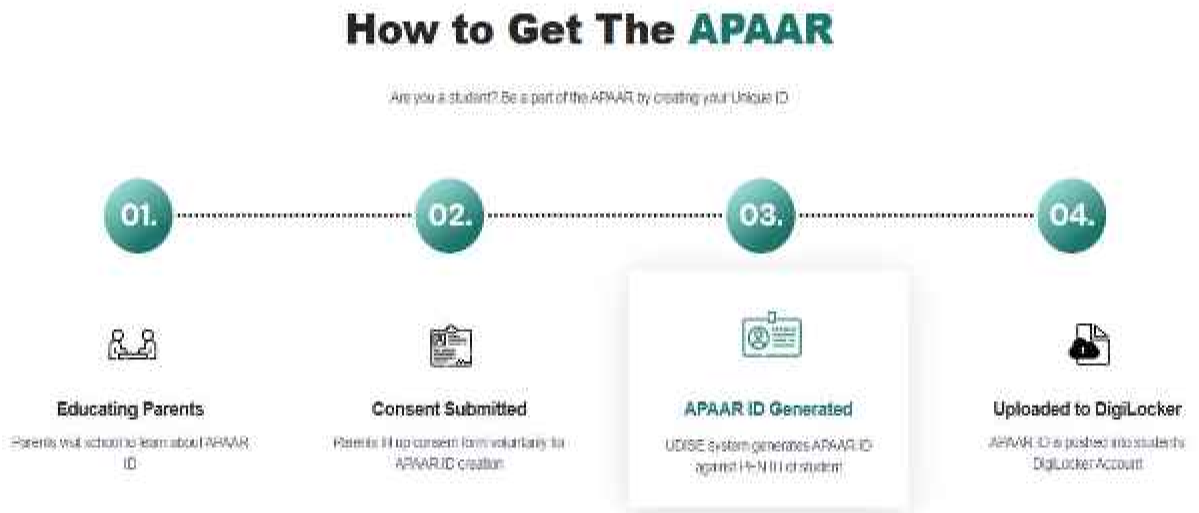

अपार आईडी के सम्बन्ध में विभिन्न स्तर से किये जाने वाले कार्य–

विद्यालय स्तर से किये जाने कार्य–

- पिछले वर्ष में प्रदर्शित सभी विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम व उपस्थिति इन्द्राज कर प्रोग्रेसन करना।
- यदि विद्यार्थी किसी अन्य विद्यालय से स्थानान्तरित होकर आये है तो विद्यार्थी को ड्रापबॉक्स से इम्पोर्ट किया जावें।
- यदि विद्यार्थी किसी अन्य विद्यालय से स्थानान्तरित होकर आया है और ड्रॉप बॉक्स में प्रदर्शित नहीं है तो पुराने विद्यालय से विद्यार्थी को ड्रॉपबॉक्स में भिजवाने हेतु Student Release Request लिंक के माध्यम से Request जनरेट करना।
- यदि विद्यार्थी विद्यालय/यूडाइस में प्रथम बार आ रहा है तो विद्यार्थी का डाटा पोर्टल पर अपलोड करना।
- सभी विद्यार्थियों का डाटा यूडाइस पोर्टल पर इन्द्राज कर विद्यार्थी प्रोफाइल (GP, EP, FP) वेरिफाई करना।
- सभी विद्यार्थियों के आधार की जानकारी एकत्रित कर यूडाइस पोर्टल पर अपलोड करना।
- यूडाइस पोर्टल के माध्यम से ऐसे विद्यार्थी जिनका अपार आईडी नहीं बना हुआ है को सूचीबद्ध करना एवं उनके माता–पिता/वैधानिक अभिभावक के साथ सम्पर्क कर नवीन प्रपत्र में सहमति/असहमति प्राप्त करना।
- विद्यालय में आयोजित होने वाली पीटीएम में सभी माता–पिता/अभिभावकों को अपार के उपयोग, आवश्यकता से अवगत कराते हुए सहमति/असहमति एवं उनकी एक आईडी प्राप्त करना।
- यदि विद्यार्थी के विद्यालय रिकॉर्ड तथा आधार रिकॉर्ड में असमानता है तो माता–पिता से सम्पर्क कर असमानता को दूर करवाना। आवश्यकतानुसार विद्यालय रिकॉर्ड या आधार रिकॉर्ड में अद्यतन करवाना। ध्यान रहें कि विद्यालय रिकॉर्ड में शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार अद्यतन करवाकर ही यूडाइस पोर्टल पर अपडेट करावें। सिर्फ आधार रिकॉर्ड के अनुसार यूडाइस अपडेट ना करवाना।
- यदि विद्यालय के विद्यार्थियों का आधार कवरेज या विद्यालय रिकॉर्ड व है तो ब्लॉक/जिला समग्र शिक्षा कार्यालय एवं सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के जिला केन्द्रों से सम्पर्क आधार केम्प लगवाने का प्रयास कर आधार कवरेज बढावें।

ब्लॉक/जिला स्तर से किये जाने कार्य–

- विद्यालयों के विद्यार्थियों की प्रोफाइल (GP, EP, FP) वेरिफाई करवाने हेतु प्रतिदिन विद्यालयवार समीक्षा निर्देश प्रदान करना।
- विद्यालयवार आधार वेरिफिकेशन एवं अपार जनरेशन की प्रतिदिन समीक्षा कर आवश्यकतानुसार विद्यालयों को निर्देश प्रदान करना।
- ऐसे विद्यालय जिनमें आधार कवरेज कम है उन विद्यालयों में आवश्यकतानुसार जिला Doitc केन्द्रों के माध्यम से आधार केम्प आयोजित करवाना आधार कवरेज बढाना।
- ब्लॉक व जिला स्तर अधिकारी विद्यालय निरीक्षण के दौरान अपार आईडी जनरेशन की समीक्षा करना एवं इस हेतु लिये गये सहमति/ असहमति प्रपत्र के रिकॉर्ड संधारण की जांच करना।
- विद्यालयों में आयोजित पीटीएम एवं अन्य कार्यक्रमों में विद्यार्थियों के माता–पिता/वैधानिक अभिभावकों को अपार आईडी बनाने हेतु प्रेरित करना।

परिशिष्ट 1

अपार (APAAR) आईडी बनाने के लिए अभिभावकीय सहमति / असहमति प्रपत्र

(पिता/माता/कानूनी अभिभावक द्वारा भरा जाना है)

छात्र का नाम:____ कक्षा/सेक्शन:_______________

विद्यालय का नाम-

____

मैं, ______________________________ (माता-पिता/अभिभावक का नाम), पहचान प्रमाण (आधार/पैन/मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस) संख्या. ___________________________, ऊपर उल्लिखित छात्र का कानूनी अभिभावक हूँ।

मुझे ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री अपार (APAAR) पहल के बारे में जानकारी दी गई है। मैं समझता/समझती हूँ कि अपार (APAAR) जीवन भर का डिजिटल शैक्षणिक रिकॉर्ड बनाए रखने और डिजिलॉकर सेवाओं तक पहुँच प्राप्त करने के लिए एक स्वैच्छिक सुविधा है।

कृपया नीचे दिए गए विकल्पों में से एक का चयन करें (अनिवार्य):

[ ] विकल्प क: मैं सहमति देता/देती हूँ

मैं स्वेच्छा से अपनी संतान के आधार संख्या/वैकल्पिक सरकारी जारी पहचान प्रमाण (PIC) संख्या ____________________________ को, शिक्षा मंत्रालय के साथ केवल अपार (APAAR) आईडी बनाने और डिजिलॉकर खाता खोलने के उद्देश्य से साझा करने के लिए अपनी सहमति देता/देती हूँ।

मैं शिक्षा मंत्रालय को अधिकृत करता/करती हूँ कि वह मेरी संतान के आधार संख्या (यदि ऊपर प्रदान की गई हो) का उपयोग यू-डायस के साथ प्रमाणीकरण के लिए करे। मैं समझता/समझती हूँ कि आधार संख्या को मास्क किया जाएगा और गोपनीय रखा जाएगा।

वैकल्पिक: तृतीय-पक्ष सेवाओं के लिए अतिरिक्त सहमति (यदि सहमत हों तो टिक करें):

[ ] मैं यह भी सहमति देता/देती हूँ कि मेरी संतान के शैक्षणिक डेटा का उपयोग प्रत्यक्ष लाभ सेवाओं जैसे छात्रवृत्ति पोर्टल और मूल्यवर्धित सेवाओं जैसे प्रतिभा/कौशल पहचान एजेंसियों (भर्ती) के लिए किया जा सके।

[ ] विकल्प ख: मैं सहमति नहीं देता/देती हूँ (ऑप्ट-आउट)

मैं इस समय अपनी संतान के लिए अपार (APAAR) आईडी बनवाना नहीं चाहता/चाहती हूँ। मैं समझता/समझती हूँ कि अपार (APAAR) आईडी से इंकार करने से मेरी संतान के प्रवेश, पदोन्नति या सरकारी लाभों तक पहुँच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

माता-पिता/अभिभावक द्वारा घोषणाः

मैं समझता/समझती हूँ कि भविष्य में किसी भी समय मैं विद्यालय को अनुरोध देकर या निम्नलिखित ई-मेल पते ______*_______ (डेटा संरक्षण अधिकारी) पर संपर्क करके अपनी सहमति वापस ले सकता/सकती हूँ या उसमें संशोधन कर सकता/सकती हूँ।

दिनांक:____________________

स्थानः _______________________

(माता-पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर)

केवल विद्यालय उपयोग के लिए

यू-डायस+ डाटाबेस में सहमति की स्थितिः

[ ] सहमति दी गई (आईडी बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएँ)

[ ] सहमति अस्वीकार (प्रणाली में 'अस्वीकृत' के रूप में अंकित करें – प्रक्रिया न करें)

(प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर)

*Email ID: apaarsupport@ciet.nic.in

Annexure-1

PARENTAL CONSENT / REFUSAL FORM FOR APAAR ID GENERATION

(To be filled by the Father/Mother/Legal Guardian)

Name of Student: ________________________________ Class/Section: ______________

School Name: ____

I, ______________________________ (Name of Parent/Guardian), bearing Identity Proof (Aadhaar/PAN/Voter ID/DL) No. ________________________, am the Natural/Legal Guardian of the student mentioned above.

I have been informed about the Automated Permanent Academic Account Registry (APAAR) initiative. I understand that APAAR is a voluntary facility for maintaining a lifelong digital academic record and accessing DigiLocker services.

PLEASE SELECT ONE OPTION BELOW (MANDATORY):

[ ] OPTION A: I CONSENT

I voluntarily give my consent to share my ward's Aadhaar Number/Alternate Govt. Issued PIC with the identity proof number ________________________, with the Ministry of Education for the sole purpose of creating an APAAR ID and opening a DigiLocker account.

I authorize the Ministry of Education to use the Aadhaar number (if provided above) of my ward for authentication with UIDAI. I understand that the Aadhaar number will be masked and kept confidential.

Optional: Additional Consent for Third-Party Services (Tick if you agree):

[ ] I also consent to my ward's academic data being used for direct benefit services like Scholarship Portals and value-added services such as Talent/Skill Identification Agencies (Recruitment).

[ ] OPTION B: I DO NOT CONSENT (OPT-OUT)

I do not wish to generate an APAAR ID for my ward at this time. I understand that refusing APAAR ID will not affect my ward's admission, promotion, or access to government benefits.

Declaration by Parent/Guardian:

I understand that I can withdraw or modify my consent at any time in the future by submitting a request to the school or by contacting the following email address _______*________ (Data Protection Officer).

Date: __________________

Place: ________________ ____________________________________

(Signature of Parent/Guardian)

FOR SCHOOL USE ONLY

Status of Consent in UDISE+ Database:
[ ] CONSENT GIVEN (Proceed to Generate ID)
[ ] CONSENT REFUSED (Mark as 'Denied' in System - Do Not Process)

(Signature of Principal/Head Master)

*EMAIL ID : apaarsupport@ciet.nic.in